# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

**GCMS NO.-2022/289**
मिसल नम्बर–49 / 2022

1.छीतरलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.काली बाई पुत्री स्व0 रामनारायण जाति माली
3.घीसी बाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति माली
4.छोटूलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति माली
5.बनवारी लाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति माली
6.भंवरलाल पुत्र मथुरालाल जाति माली
7.मोडीलाल पत्नी स्व0 मथुरालाल निवासीगण आमली तहसील कनवास जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.धनराज पुत्र भैरूलाल जाति तेली
2.बिरधीलाल पुत्र भैरूलाल जाति तेली निवासीगण बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3.मांगीलाल पुत्र किशोर जाति कुम्हार निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 18/6/25

उपस्थिति:–
1.श्री जावेद इकबाल अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2.श्री दयानंद राठौर अप्रार्थी नं0 1 व 2 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के शामलाती कब्जेकाश्त एवं खाते की कृषि आराजी खसरा सख्या 1530 की रकबा 0.8900 हैक्टेयर वाके ग्राम बनियानी, पटवार हल्का बनियानी, भूअभि,नि. क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान में स्थित चली आ रही थी, जिस पर प्रार्थी क्रम–1 तन्हा काबिज काश्त है, क्योंकि आपसी सहमति से अन्य खातेदारान द्वारा उक्त कृषि आराजी के एवज प्रार्थी क्रम–1 द्वारा अन्य प्रार्थीगण को अन्यत्र स्थान पर कृषि आराजी दे दी गई थी, जिससे उक्त कृषि आराजी पर आपसी सहमति से सिर्फ ओर सिर्फ प्रार्थी क्रम–1 छीतरलाल का कब्जाकाश्त बना आ रहा है तथा प्रार्थी क्रम –1 पूर्व में उक्त कृषि आराजी को मुनाफा काश्त पर अप्रार्थीगण से जुपाता रहा है तथा उस राशि से अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खाते

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की कृषि आराजी मुख्य सड़क से अन्दर होने से प्रार्थी क्रम–1 की कृषि आराजी पर आने जाने तथा कृषि संयंत्रों को भी लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की कृषि आराजी में से होकर आना जाना पड़ता है तथा विगत कई कर्षों से अप्रार्थीगण ही प्रार्थी की कृषि आराजी को मुनाफाकाश्त पर जोते व बोते रहने से रास्ते का उपयोग करने हेतु अपनी कृषि आराजी का उपयोग उपभोग करते रहे हैं। वर्तमान में अब उक्त कृषि आराजी पर प्रार्थी क्रम–1 स्वयं कृषि कार्य करने लगा है, जिससे नाराज होकर प्रार्थी के पड़ौस की आराजी के मालिक, जो पूर्व में प्रार्थी क्रम–1 की उक्त कृषि आराजी को मुनाफा काश्त पर जोते बोते थे, के द्वारा पूर्व में प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी क्रम –1 अपने पूर्वजों के जमाने से उक्त रास्ते का प्रयोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी क्रम–1 अपनी उक्त आराजी पर खेती करके अपना व अपने परिवार का जीविको पॉर्जन करता है. यदि प्रार्थी को उसकी कृषि जोत पर जाने हेतु रास्ता ही नहीं मिलेगा तो उसकी भूमि बंजर रह जायेगी और इस आर्थिक मन्दी के दौर में प्रार्थी क्रम–1 को मजबूरन अकाल का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी क्रम–1 का रास्ता अवरूद्ध हो जाने से प्रार्थी क्रम–1 की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी वर्तमान में बिना जोत के रह गई है, जिससे प्रार्थी क्रम–1 को गंभीर आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी क्रम–1 व उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी क्रम–1 के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी क्रम–1 मुख्य सड़क से होकर अप्रार्थीगण के खसरा नं0 1309, 1309/1672 एवं 1308 में से अपने आराजी पर पहुंच सकता है, और अपनी आराजी का समुचित, उपयोग उपभोग कर सकता है, जिसके लिये प्रार्थी क्रम–1 को अप्रार्थीगण के खाते की आराजी में से ट्रेक्टर, ट्रॉली व अन्य कृषि संयंत्र लाने ले जाने हेतु आवश्यक रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में से रास्ता प्रार्थी क्रम–1 को अपनी आराजी तक पहुंचने के लिये उपलब्ध कराया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में अमल दरामद कराया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थी क्रम–1 बनने वाले माप अनुसार प्रतिपक्षी को डीएलसी की दोगुनी दर से क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 1530 की रकबा 0.8900 हैक्टेयर वाके ग्राम बनियानी, पटवार हल्का बनियानी, भू अभि नि. क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान पर पहुंचने के लिये व कृषि उपकरण, उपज व साधन लाने, ले जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 1309, 1309/1672 एवं 1308 में से रास्ता उपलब्ध करवाये जाने व प्रार्थीगण से उक्त रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में अमल दरामद भी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी श्रीमान उचित समझें वह भी प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपंरात भी अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी नं0 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में दिनांक 10.07.2023 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है कि तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी वाके ग्राम बनियानी के खसरा नं0 1530 कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 1309, 1309/1799, 1528, 1308 तथा 1529 की भूमि से रास्ता चाहा गया है। मुताबिक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
को.

उक्त समस्त खसरा नम्बरान से होकर गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई 136 मी0 है। नवीन रास्ता कायम करने हेतु कुल 136 मी0 लम्बाई की भूमि रास्ते में जावेगी।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से बहस नही की गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम बनियानी के खसरा नं0 1530 कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 1309, 1309/1799, 1528, 1308 तथा 1529 की भूमि से रास्ता चाहा गया है। मुताबिक रिपोर्ट उक्त समस्त खसरा नम्बरान से होकर गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई 136 मी0 है। नवीन रास्ता कायम करने हेतु कुल 136 मी0 लम्बाई की भूमि रास्ते में जावेगी।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1530 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 1309, 1799/1309 व खसरा नं0 1528 की मध्य मेड एवं खसरा नं0 1308 व खसरा नं0 1529 की मध्य की मेड पर से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 1530 की पहुँच तक 4 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि सम्बंधित खातेदारों को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा